



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक 04.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को अवैध देशी शराब के 25 पाउच सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.10.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा लोकेश कुमार पुत्र बाबूराम निवासी बेगपुर मण्डा थाना सैदनगली जनपद अमरोहा हाल पता मौ0 मिलिकयान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 25 पाउच अवैध देशी शराब फाइटर मार्का सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 475/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

लोकेश कुमार पुत्र बाबूराम निवासी बेगपुर मण्डा थाना सैदनगली जनपद अमरोहा हाल पता मौ0 मिलिकयान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

25 पाउच अवैध देशी शराब फाइटर मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.आरक्षी पंकज कुमार थाना स्योहार जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जपनद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा

दिनांक 04.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा शातिर चोरो को चोरी की ई-रिक्शा सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 03.10.2024 को वादी श्री मौ० सफीक पुत्र छिदू निवासी ग्राम नया गांव काँठ मुरादाबाद द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 28.09.2024 को वह अपनी ई-रिक्शा लेकर अपनी सुसराल मौहल्ला मिलिकयान थाना स्योहारा गया था, जहां से रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा घर के बाहर से ई-रिक्शा चोरी कर ली गयी। इ स संबंध में थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 474/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।



उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1- तहसीन पुत्र मौ० उमर नि० मौ० जोडियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2- जितेन्द्र कुमार पुत्र विजय कुमार 3- अविनाश पुत्र उमेश कुमार निवासीगण मौहल्ला गूंगी सराय कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही -

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 474/24 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त 1- तहसीन पुत्र मौ० उमर नि० मौ० जोडियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2- जितेन्द्र कुमार पुत्र विजय कुमार 3- अविनाश पुत्र उमेश कुमार निवासीगण मौहल्ला गूंगी सराय कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी की ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

- 1- तहसीन पुत्र मौ० उमर नि० मौ० जोडियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2- जितेन्द्र कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी मौ० गूंगी सराय कस्बा व थाना स्योहारा बिजनौर ।
- 3- अविनाश पुत्र उमेश कुमार नि० मौ० गूंगी सराय कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण –

चोरी की ई-रिक्शा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- व०उ०नि० श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2- उ०नि० श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3- मुख्य आरक्षी अस्कर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 4- मुख्य आरक्षी बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 5- आरक्षी मोनू कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 04.10.2024

थाना नहतौर पुलिस पुलिस ने मु0अ0सं0 346/2024 धारा 137(2)(a)/352/351(2)/64/115(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.10.2024 को वादिनी ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि दिनांक 01.10.2024 को कुलदीप पुत्र कमलजीत सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर नन्हेड़ा थाना नहतौर जनपद बिजनौर वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा गाली गलौच करते हुए वादिनी की पुत्री के अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी दी गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 346/2024 धारा 137(2)(a)/352/351(2) बीएनएस बनाम कुलदीप उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 04.10.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कुलदीप उर्फ अभिजीत सिंह राठौर पुत्र कमलजीत सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर नन्हेड़ा थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64/115(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कुलदीप उर्फ अभिजीत सिंह राठौर पुत्र कमलजीत सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर नन्हेड़ा थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1.उ0नि0 प्रशि0 श्री सुमित कुमार, थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 प्रशि0 श्री रोबिन कौशिक, थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 04.10.2024

**थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 344/2024 धारा 74/78/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.10.2024 को वादिनी ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि शनि पुत्र महेश निवासी ग्राम बैरमाबाद गढ़ी थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री का ट्यूशन जाते समय पीछा किया जाता है तथा दिनांक 02.10.2024 को अभियुक्त शनि द्वारा रास्ते में छेड़छाड़ की गयी तथा किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 344/2024 धारा 74/78/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम शनि उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

आज दिनांक 04.10.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शनि पुत्र महेश निवासी ग्राम बैरमाबाद गढ़ी थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

शनि पुत्र महेश निवासी ग्राम बैरमाबाद गढ़ी थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1.उ0नि0 प्रशि0 श्री शेखर कुमार, थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1813 आदित्य मलिक, थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1356 अंकित चौहान, थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक 04.10.2024

थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 347/24 धारा 109/333 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.10.2024 को वादी श्री मोहित कुमार पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम जलालपुर तुर्क थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि पिछले करीब 05-06 माह से वादी की पत्नी सुरभी का वादी तथा वादी के माता-पिता से विवाद चल रहा है । दिनांक 03.10.2024 को रात्रि में करीब 01.00 बजे जब वादी की माता शोभा देवी घर पर अकेली सो रही थी । इसी दौरान सुरभी अपने 02 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर घर में घुस आयी तथा वादी की माता के सिर, हाथ व सीने पर चाकुओं से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 347/24 धारा 109/333 बीएनएस बनाम सुरभी व 02 अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुरभि पत्नी मोहित कुमार निवासी ग्राम जलालपुर तुर्क थाना नहतौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुरभि पत्नी मोहित कुमार निवासी ग्राम जलालपुर तुर्क थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी-

01 चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. व0उ0नि0 कुलजीत सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मुख्य आरक्षी 359 रविशंकर थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. आरक्षी 731 रोहित कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर

दिनांक 04.10.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 458/24 धारा 137(2)/87/70(2) बीएनएस व धारा 5छ/6 पॉक्सो अधिनियम में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.09.2024 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि बाल अपचारी द्वारा वादी की बेटी को बहलाफुसलाकर अपने साथ ले गया । इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 458/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

स्थानीय पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुये अपहृता को दिनांक 29.09.2024 को बरामद किया गया तथा अभियोग में धारा 87/70(2) बीएनएस व धारा 5छ/6 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 458/24 उपरोक्त में वांछित बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम व पता –

बाल अपचारी

पुलिस टीम का विवरण –

- 1- प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार, थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- उ0नि0 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शिवालाकलां

दिनांक- 04.10.2024

थाना शिवालाकलां पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र जयपाल नि० नैनू नांगल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव कुमार पुत्र जयपाल नि० नैनू नांगल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ०नि० अजीत कुमार थाना शिवाला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

2.का० 2385 अंकुर कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक- 04.10.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र शीश राम सिंह निवासी मौहल्ला जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अतुल कुमार पुत्र शीश राम सिंह निवासी मौहल्ला जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.आरक्षी 2561 निर्देश कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर